19

आवश्यक / महत्वपूर्ण

संख्या-2320 / 60-1-2012-18 रिट / 12

प्रेषक,

सदाकान्त,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग- 1 लखनऊ : दिनांक : 05 जुलाई, 2012

विषय- क्रिमिनल रिट (पी0आई0एल0) याचिका सं0-4207 / 2012 में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में पारित आदेशों का अनुपालन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपको संबोधित निदेशालय, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-सी0-158 / निदे0म0क0 / प्रोबे0 / गोद0प्रको0 / 2012-13, दिनांक 09.05.12 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. प्रश्नगत मामले में अवगत कराना है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रदेश में परित्यक्त, निराश्रित शिशुओं एवं इसी श्रेणी के मानसिक रूप से अविकसित मूक बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग शिशुओं के दत्तक ग्रहण की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया है और दिनांक 21.05.11 को निम्न आदेश दिये गये हैं:-

(1) बाल कल्याण समितियों को दिये गये निदेशालय के निर्देश दिनांक 09.05.12 एवं 11.05.12 की प्रोग्रेस रिपोर्ट अगली सुनवाई की तिथि को प्रस्तुत की जाय।

(2) उ0प्र0 की विशिष्ट एडाप्शन एजेंसी (एस0ए0ए0) को CARINGS (चाइल्ड एडाप्शन रिसोर्स इन्फार्मेशन एण्ड गाइडेन्स सिस्टम) में रजिस्टर कराया जाय, जिससे कि दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया पारदर्शी, दोषरहित और त्वरित हो जाय। अन्तर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया भी त्वरित एवं सुचारू हो जाय। अधिक उम्र के बच्चों तथा विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों को दत्तक ग्रहण के इच्छुक अभिभावकों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाय, यदि हो सके, तो इस संबंध में आवश्यक सरकुलर भी जारी किये जायें। इस संबंध में भी प्रगति आख्या अगली सुनवाई की तिथि को प्रस्तुत की जाय।

.....2

3 प्रश्नगत मामले मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट की अगली सुनवाई की तिथि 16.07.12 है और इस तिथि को उक्त बिन्दुओं पर प्रगति आख्या मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जानी है।

अतः अनुरोध है कि निम्न बिन्दुओं पर अविलम्ब कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराया जाय:--

(1) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2006 द्वारा यथा संशोधित) की धारा 41 एवं किशोर न्याय नियमावली, 2007 के नियम 35 के उपबन्धों के अनुसार 02 वर्ष से कम आयु के शिशुओं को दत्तक ग्रहण हेतु 60 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से फ्री फार एडाप्शन सर्टिफिकेट, बाल कल्याण समिति द्वारा जारी कर दिया जाय। इसी प्रकार 02 वर्ष से अधिक आयु के बालकों के मामले में 04 माह के भीतर अनिवार्य रूप से फ्री फार एडाप्शन सर्टिफिकेट, बाल कल्याण समिति द्वारा जारी कर दिया जाय।

(2) उ0प्र0 की विशिष्ट एडाप्शन एजेंसी (एस0ए0ए0) को CARINGS (चाइल्ड एडाप्शन रिसोर्स इन्फार्मेशन एण्ड गाइडेन्स सिस्टम) में रजिस्टर कराया जाय। अधिक उम्र के बच्चों तथा विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों को दत्तक ग्रहण के इच्छुक अभिभावकों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाय, यदि हो सके, तो इस संबंध में आवश्यक सरकुलर भी जारी किये जायें।

(3) मानसिक रूप से अविकसित, मूक बधिर एवं शारीरिक रूप से विकलांग शिशुओं को दत्तक ग्रहण हेतु इच्छुक पंजीकृत सम्भावित माता--पिता को दिये जाने हेतु केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा निर्गत मार्गदर्शी नियमों के अनुसार दत्तक ग्रहण कार्यवाही पूर्ण करायी जाय।

भवदीय,

(सदाकान्त)
प्रमुख सचिव।

संख्या-2320 (1)/60-1-2012, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित--

1 -- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2 - समस्त उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3 समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4 समस्त अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति, उत्तर प्रदेश।
5-- समस्त विभागीय संस्थायें।

आज्ञा से,

(मिश्री लाल पासवान)
विशेष सचिव।